राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / 2013 / 333 दिनांकः 29. नवम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर की अ.शा. टीप सं. प.8(2)(20)निर्वा./2008/8280 दिनांक 11.11.2013 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि विधान सभा आम चुनाव, 2013– मतदान कार्य हेतु शिक्षकगणों को मतदान दलों में लगाये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित कराने के क्रम में निर्देशित किया है कि मतदान कराने हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में मतदान दल दिनांक 29 नवम्बर, 2013 से अथवा 30 नवम्बर 2013 (जैसी भी स्थिति होगी) से अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना होंगें। वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए।

निर्देशानुसार जिन महाविद्यालय भवनों से मतदान दलों की रवानगी दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को होगी वहां दिनांक 29 नवम्बर 2013 एवं 30 नवम्बर 2013 को तथा जिन महाविद्यालयों भवनों से मतदान दलों की रवानगी दिनांक 30 नवम्बर 2013 को होनी है वहां दिनांक 30 नवम्बर 2013 को महाविद्यालयों में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने पर उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / 2013 / 333 दिनांकः 29 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा. टीप सं. प.8(2)(20)निर्वा. /2008/8280 दिनांक 11.11.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर को उनके पत्रांकः प.10 (2)शिक्षा/ग्रुप–3/2008 दिनांक 26 नवम्बर 2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. समस्त निर्वाचन अधिकारी, (जिला कलक्टर्स) राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
6. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक